



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ 165()लेख/परावि/कोषालय के माध्यम से भुगतान/2014-15/125

जयपुर, दिनांक:- 11-1-2017

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति-समस्त।

विषय:-पंचायती राज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- अतिरिक्त निदेशक (आईएफएमएस) का पत्र क्रमांक एफ 5(थ-75) कोष/आईएफएमएस/पीआरआई/13438 दिनांक 28.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिक जो पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त पर प्रगति प्रसार अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं, उनके वेतन से की जाने वाली कटौतियां जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रेषित की जानी है, पी.आर.आई. एप्लीकेशन में उपलब्ध Dependent deduction Option में की जाकर संबंधित संस्था के बैंक खाते में सीधे जमा कराई जा सकती है। तदानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

(डा. अरविन्द मिश्र)

वित्तीय सलाहकार